

संख्या- ए. 20011/04/2020- हिन्दी

भारत सरकार, गृह मंत्रालय

समन्वय निदेशालय

(पुलिस बेतार)

खंड-9, कें.स. का. परिसर

लोधी रोड, नई दिल्ली -3

दिनांक- 12 फरवरी, 2020

परिपत्र

विषय: निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिसम्बर 2019 की तिमाही बैठक में लिए गए निर्णयों पर निदेशालय के अनुभागों द्वारा की जाने वाली अनुवर्ती कार्रवाई

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिसम्बर 2019 की तिमाही बैठक की कार्यवृत्त कार्यालय आदेश संख्या ए. 20011/04/2017- हिन्दी, दिनांक 14 जनवरी 2020 के अंतर्गत सभी अनुभाग अधिकारियों और समिति के सदस्यों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु अद्योषित की गयी थी।

2. बैठक में लिए गए निर्णयों तथा निदेशक महोदय के निर्देशानुसार संबंधित अनुभाग/अनुभाग अधिकारियों और समिति के सदस्यों द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई करना अपेक्षित है :-

- (क) निदेशक महोदय की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक में समिति के सभी सदस्यों द्वारा अनिवार्य रूप से भाग लिया जाएगा। यदि कोई सदस्य किसी अपरिहार्य कारण से बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो इसकी पूर्व सूचना सदस्य सचिव को दी जाएगी।
- (ख) राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार सभी अनुभागों के लिए हिंदी पत्राचार का लक्ष्य 100 प्रतिशत है। बैठक में निदेशक महोदय ने निर्णय लिया था कि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के क्रम में सभी अनुभागों के लिए अगली तिमाही में हिंदी पत्राचार का लक्ष्य 60 प्रतिशत निर्धारित है, जिसे सभी अनुभाग हासिल करेंगे।
- (ग) फाइलों पर हिंदी टिप्पण/आलेखन का लक्ष्य 75 प्रतिशत है। इस लक्ष्य को हासिल करने के क्रम में सभी अनुभागों के लिए आगामी तिमाही के लिए 60 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है।
- (घ) सभी अनुभाग अधिकारी/अधिकारी धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कागजातों को निश्चित रूप से द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी में) रूप से जारी करना सुनिश्चित करेंगे। धारा 3 (3) के तहत जारी कागजातों को द्विभाषी रूप में जारी करने की जिम्मेदारी इस पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों की होती है। इन कागजातों में सामान्य आदेश, कार्यालय आदेश, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन, नियम, संकल्प, अधिसूचनाएं, निविदा सूचना, अनुज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति, नीति दस्तावेज आदि प्रकार के 14 दस्तावेज शामिल हैं, जिसके बारे में सभी अनुभागों को हिंदी अनुभाग के परिपत्र संख्या ए. 20011/4/2017-हिंदी, दिनांक 09 अगस्त 2019 के द्वारा पहले ही सूचित किया गया है।
- (ङ) सभी अनुभाग हिंदी पत्राचार की प्रतिशतता में तकनीकी और प्रशासनिक दोनों तरह के पत्रों को शामिल करें।
- (च) सी.पी.आर.टी.आई. सहित सभी अनुभाग अपने-अपने हिंदी की तिमाही रिपोर्ट के आंकड़े सही और तथ्यपरक भरकर दें।
- (छ) समन्वय, भंडार, सी.पी.आर.टी.आई., पोलनेट हब और पोलनेट अनुभाग को हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के लिए विशेष पहल करने की आवश्यकता है। पुनः अवगत किया जाता है कि हिंदी पत्राचार का लक्ष्य 100 प्रतिशत है और इस तिमाही के लिए निदेशक महोदय ने 60 प्रतिशत हिंदी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया है।

- (ज) क्रय और आई.टी. अनुभाग द्वारा निदेशालय भवन के बाहर एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्पले बोर्ड लगाया जाए और इसके लिए उस स्थान की पूर्व अनुमति सी.पी.डब्ल्यू.डी. से प्राप्त कर ली जाए।
- (झ) निदेशालय के वार्षिक कैलेंडर में स्वच्छ भारत अभियान, बेटा पढ़ाओ-बेटी बचाओ, हिंदी का सम्मान राष्ट्र का सम्मान, और फिट इंडिया मूवमेंट आदि स्लोगन बनाए जाएं और कैलेंडर में निदेशालय की उपलब्धियों और सी.पी.आर.टी.आई. द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के फोटो भी लगाए जाएं।
- (ञ) केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित की जाने वाली 'कार्यालय कार्य (हिंदी में)' प्रशिक्षण कार्यक्रम में 15 कर्मिकों को प्रशिक्षण देने की क्षमता है और यह प्रशिक्षण सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। अतः सभी अनुभागों द्वारा अपने कर्मिकों को इस प्रशिक्षण में नामित करके प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना अपेक्षित है।
- (ट) सी.पी.आर.टी.आई. में स्थापित कम्प्यूटर प्रयोगशाला में कम्प्यूटरों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को इसका लाभ मिल सके।
- (ठ) हिंदी में कार्य करने को प्रोत्साहित करने के लिए निदेशालय द्वारा 'चल बैज्यंती शील्ड' योजना या इसी तरह की कोई प्रोत्साहन योजना लागू की जानी चाहिए।
- (ड) अधिकारियों को डी.ओ. लेटर हिंदी या द्विभाषी में लिखना चाहिए और स्वयं हिंदी में काम करके अपने कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
- (ढ) सभी अधिकारियों को सप्ताह में दो दिन एक घंटा बैठकर बातचीत हिंदी में करनी चाहिए, हिंदी की गोष्ठी रखें और सारी चर्चाएं हिंदी में ही करनी चाहिए।
- (ण) अंतर राज्य पुलिस बेतार सहित सभी अनुभागों में नेमी टिप्पणी और कार्यग्रहण रिपोर्ट आदि सभी पत्र हिंदी में लिखने चाहिए।
- (त) केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान में निदेशालय की एक पत्रिका प्रकाशित की जानी चाहिए। इस पत्रिका में निदेशालय की गतिविधियाँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम, विभाग के तकनीकी विषयों का समावेश किया जाना चाहिए। निदेशक महोदय के निर्देशानुसार इसका प्रकाशन संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा सी.पी.आर.टी.आई. में किया जाएगा।
- (थ) केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिंदी की वाद-विवाद प्रतियोगिता को एक विषय के रूप में अनिवार्य कर दिए जाएं और इसके लिए प्रश्न-पत्र में कुछ अंक भी रखे जाएं।
- (द) जिस अनुभाग का हिंदी पत्राचार और फाइलों पर हिंदी टिप्पण 70 प्रतिशत से अधिक होगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा।
- (ध) निदेशालय में हिंदी और अंग्रेजी के समाचार पत्रों के अलावा भारतीय भाषा जैसे मराठी, बंगाली और गुजराती आदि क्षेत्रीय समाचार पत्र भी मंगाए जाएं।
- (न) हिंदी अनुभाग द्वारा निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की हिंदी ज्ञान से संबंधित अद्यतन डाटाबेस तैयार किया जाए।
- (न) हिंदी अनुभाग /प्रशासन अनुभाग द्वारा हिंदी पदों के सृजन से संबंधित प्रस्ताव तैयार किया जाए।

3. उपरोक्त के संदर्भ में निदेशालय के सभी अनुभाग अधिकारियों और राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों से आग्रह है कि वे पैरा 2 में उल्लेखित अपने-अपने अनुभाग से संबंधित निर्णयों पर अपने-अपने स्तर पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करें और की गई कार्रवाई से इस अनुभाग को दिनांक 28 फरवरी 2020 तक सूचित कर दें ताकि अगली बैठक में इसकी उचित समीक्षा की जा सके तथा निदेशक महोदय को इसकी सूचना दी जा सके।

(*Arjun Singh*) 12.02.2020
(डॉ. आर. के. सिंह)

सहायक निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि -

1. निदेशक महोदय के प्रधान वैयक्तिक सचिव ।
2. अपर निदेशक (मुख्यालय)/अपर निदेशक (प्रचालन) के वैयक्तिक सचिव ।
3. सभी संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक।
4. सभी अनुभाग/अनुभाग अधिकारी।
5. सहायक निदेशक, पोलनेट हब स्टेशन, समन्वय सदन, सिरी गांव, नई दिल्ली ।
6. सहायक निदेशक, केंद्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान, वन्दे मातरम् मार्ग, नई दिल्ली ।
7. स.नि. सूचना प्रौद्योगिकी - विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड फाइल ।

